राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 2618/2016/श्रीगंगानगर
2. अपील संख्या 2619/2016/श्रीगंगानगर
3. अपील संख्या 2620/2016/श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स धर्म चन्द बंसल,
सूरतगढ, श्रीगंगानगर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरना,
उप राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से

श्री वी.के. पारीक एवं श्री श्याम पारीक,
अभिभाषकगण। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 10/04/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिग टैक्स, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2015 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 26 के अन्तर्गत आरोपित मांग राशियों को अपास्त किया गया है।

2. इन तीनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलाधीन अपील संख्या	कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का विवरण		विवादित मांग राशि
			वर्ष	आदेश दिनांक	
1.	अपील संख्या 2618/2016	110/आरवैट/सूरतगढ	2011–12	06.04.15	43,520
2.	अपील संख्या 2619/2016	112/आरवैट/सूरतगढ	2010–11	06.04.15	63,550
3.	अपील संख्या 2620/2016	111/आरवैट/सूरतगढ	2008–09	06.04.15	1,02,170

4. प्रकरणों के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में श्री सीमेंन्ट लिमिटेड से Work contracts of boundary walls का संविदा कार्य

लगातार.....2

ई.सी. से 1.50 प्रतिशत की दर से किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने 1.50 प्रतिशत से ई.सी. निर्धारित करते हुए मूल कर निर्धारण आदेश पारित किया। तत्पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन कर कार्य की प्रकृति के अनुसार इस पर 3 प्रतिशत की दर से ई.सी. मानते हुए अधिनियम की धारा 33 के तहत् संशोधित आदेश दिनांक 09.03.2015 पारित करते हुए मांग राशि का आरोपण कर दिया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त पारित आदेशों के विरूद्ध अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने पृथक–पृथक पारित आदेश दिनांक 01.06.2016 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए मांग राशियों को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह तीनों अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत जो 1.5 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क को संशोधित कर 3 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क का आरोपण किया है, वह विधि सम्मत है, क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किये गये कार्य की प्रकृति के आधार पर उनका ई.सी. फीस 3 प्रतिशत का दायित्व बनता है। उन्होने आगे अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन कर अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया किया प्रत्यर्थी द्वारा किया गया संविदा कार्य Work contracts of boundary walls है, जो कि सिविल वर्क्स की श्रेणी में आता है। उन्होंने कथन किया कि उनके द्वारा किया गया सिविल कार्य राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना F.12(63)FD/Tax/2005-80 दिनांक 11.08.2006 के अन्तर्गत आता है, जिस पर 1.5 प्रतिशत से ही ई.सी. देय है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने **माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णयों अपील संख्या 869/2012/श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 17.08.2017 तथा 1788 व 1789/2016/श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 26.12.2017 एवं माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णयों अपील संख्या 574/2012 निर्णय दिनांक 09.09.2016 एवं 1535/2011 निर्णय दिनांक 27.07.2017** को उद्धरित करते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत संविदा कार्य पर 1.5 प्रतिशत की दर से ही मुक्ति शुल्क का दायित्व है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन कर अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया

लगातार.....3

गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संविदा का कार्य लेकर ठेका कार्य किया जाता है। इस बाबत् श्री सीमेंन्ट लिमिटेड द्वारा Work contracts of boundary walls का संविदा कार्य 1.50 प्रतिशत ई.सी. दर से प्रत्यर्थी व्यवहारी को प्राप्त हुआ, एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा यह कार्य किया गया। इस कार्य पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना F.12(63)FD/Tax/2005-80 दिनांक 11.08.2006 के अनुसार कर मुक्ति प्राप्त की गई, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधित कर 3 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क आरोपित कर दिया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिये गये निर्णयों में Construction of Boundary Wall को Work relating to building माना गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना F.12(63)FD/Tax/2005-80 दिनांक 11.08.2006 के पैरा संख्या 8 को उल्लेखित किया जाना आवश्यक है, जिसके अनुसार–

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section(3) of section8 of the rajasthan value added tax act, 2003 (act number 3 of 2003), the state forvernment being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax the tegistered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract subject to the following conditions, namely :-

(8.) That the tax collected or charged, if any, by such dealer before the issue of this notification shall be deposited to the State Government and tax so deposited shall not be refunded or adjusted against the exemption fee.

LIST

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	Works contracts relating to dyeing, printing, processing and similar activities.	0.25%
2.	**Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerage system.**	**1.50%**
3.	Works contracts relating to installation of plants and machinery including PSPO, water treatment plant, laying of pipe line with material.	2.25%
4.	Any other kind of works contract not covered by item Nos. 1, 2 and 3.	3.00%

8. इससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किया गया संविदा कार्य **सिविल वर्क्स** की श्रेणी में आता है, इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपीलीय आदेश यथावत् रखे जाते है, एवं अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य